# खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसियाँ

## 1. खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसियाँ प्रारंभ करने की क्या आवश्यकता है ?

वर्तमान में, निर्यातक को प्रदान की जानेवाली पॉलिसियों में प्रीमियम, निर्यात पण्यावर्त पर चार्ज किया जाता है, यद्यपि प्रत्येक खरीदार पर निगम का ऋण जोखिम, वाणिज्यिक जोखिमों को रक्षा प्रदान करने के लिए खरीदार पर साख - सीमा के अनुमोदन की प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है । ये लघु व मध्यम निर्यातकों के लिए उचित है । कई बड़े, निर्यातक जो अधिक संख्या में पोतलदान करते हैं , द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत दाखिल की जानेवाली विवरणियों की मात्रा के बारे में शिकायत की जाती है, जो इस उद्देश्य के लिए उनके स्रोतों के प्रसार हेतु आवश्यक है जिसके फलस्वरूप ऐसी रिपोर्टिंग में अनजाने में कुछ चूकें हो जाती हैं, जिनका प्रभाव दावों के निपटान के समय होता है । अत: उनकी ओर से प्रक्रिया सरलीकरण व प्रीमियम संरचना को तर्कसंगत बनाने की मांग आती रही है । ऐसे निर्यातकों की अपेक्षाओं पर विचार करते हुए, निगम ने ऐसी पॉलिसी शुरू करने का निर्णय लिया जिसपर प्रीमियम संभावित ऋण जोखिम के आधार पर चार्ज किया जाएगा । दो प्रकार की ऋण जोखिम पॉलिसियों, एक वह जो विशिष्ट खरीदार पर जोखिमों को सुरक्षा प्रदान करती है व दूसरी सभी खरीदारों पर सुरक्षा प्रदान करती हैं , प्रस्तावित है ।

## 2. निगम द्वारा किस प्रकार की ऋण जोखिम पॉलिसियाँ जारी की जाती हैं ?

दो प्रकार की ऋण जोखिम पॉलिसियाँ प्रदान की जाती हैं : जैसे ,

i) ऋण जोखिम ( एक खरीदार ) पॉलिसी -- किसी विशिष्ट खरीदार पर जाोखिम सुरक्षा हेतु तथा

ii ) ऋण जोखिम ( बहु खरीदार ) पॉलिसी -- सभी खरीदारों पर रक्षा हेतु.

## 3. ऋण जोखिम (एक खरीदार ) पॉलिसी रक्षा क्या हैं ?

निर्यातक, चुने हुए खरीदार पर ऋण जोखिम आधारित रक्षा प्राप्त करने का चयन कर सकता है । यह रक्षा गैर - साख पत्र व साख पत्र सौदों, दोनों के लिए खरीदार से जुड़े वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिमों पर होगी । बारह माह की अवधि के दौरान प्रत्येक खरीदार को किए जाने वाले सभी निर्यातों को रक्षा प्रदान करने हेतु एक अलग खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसी जारी की जाएगी । यदि निर्यातक ने वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिम रक्षा का विकल्प चुना है , तो नवीनतम बैंकर्स अल्मनॅक के अनुसार 25,000 की विश्व श्रेणी के बैंकों के लिए साख पत्र पर किए गए निर्यातों के संबंध में साख पत्र खोलने वाले बैंक की असफलता को भी रक्षा प्रदान की जाएगी । इस स्तर से आगे की श्रेणी के रैंक के किसी भी बैंक को रक्षा प्रदान करने

के लिए, निर्यातक को कोई भी पोतलदान करने से पूर्व उस शाखा से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा जिसने पॉलिसी जारी की थी । यदि साख - पत्र सौदों अथवा सहयोगियों को पोतलदान के संबंध में केवल राजनीतिक जोखिमों के लिए ही रक्षा की आवश्यकता है तो पृष्ठांकन के साथ खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसी, जो केवल राजनीतिक जोखिमों तक सीमित होगी व जिसके लिए काफी कम प्रीमियम है, प्रदान की जाती है । यह पॉलिसी, मानक पॉलिसी के धारक निर्यातकों द्वारा भी उनके किसी भी खरीदार के लिए ली जा सकती है । खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसियों के अंतर्गत संरक्षित खरीदारों को किए जाने वाले पोतलदानों को मानक पॉलिसी के अधिकार क्षेत्र से अपवर्जित किया जाएगा । संरक्षित जोखिम वही होंगे जो मौजूदा खरीदारवार पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित हैं ।

### 4. खरीदार ऋण (एक खरीदार) पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित हानि की प्रतिशतता क्या है?

हानि की रक्षा का प्रतिशत उन निर्यातकों के लिए जिन्होंने मानक पॉलिसी ली है, 90 होगा तथा अन्य के लिए 80 होगा । यह निगम व पॉलिसीधारक के बीच आपसी सहमति से तय हुआ है, इस पॉलिसी में बीमाकृत द्वारा हानि का उच्चतर प्रतिशत वहन किया जा सकता है, इसके लिए प्रीमियम भी समानुपातिक रूप से कम देना होगा । यह पॉलिसी, पॉलिसी अवधि के दौरान खरीदार को किए गए पोतलदानों के संबंध में पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित किसी भी जोखिम के कारण हुई हानि की उस सीमा, जहाँ तक दावे पर विचार किया जाएगा, उसे विनिर्दिष्ट करेगी । दावे की देय राशि की गणना वास्तविक हानि की राशि की तुलना में संरक्षित हानि के प्रतिशतता को हिसाब में लेकर, हानि की सीमा के अधीन की जाएगी ।

### 5. ऋण जोखिम (एक खरीदार) पॉलिसी के अंतर्गत लागू प्रीमियम दरें क्या है ?

पो.व्या.जो. पॉलिसियों के लिए मौजूदा प्रीमियम संरचना, किए गए पोतलदानों के आधार पर है न कि खरीदार के लिए विनिर्दिष्ट हानि की सीमा (साख सीमा/अधिकतम देयता) के आधार पर । अत: ऋण जोखिम आधारित पॉलिसी के लिए प्रीमियम संरचना, पो.व्या.जो. पॉलिसियों के लिए निर्धारित संरचना से काफी अलग है । खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत वर्ष के दौरान किए गए सभी पोतलदानों को रक्षा प्रदान करने के लिए प्रीमियम दरें निम्न अनुसार है .:

**<u>प्रीमियम दरें</u>**

हानि की सीमा के प्रति 100/-रु. पर पैसे

| देश समूह | वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिमों को रक्षा प्रदान करने के लिए खरीदार/बैंक | केवल राजनीतिक जोखिमों को रक्षा प्रदान करने के लिए |
|---|---|---|
| ए 1 | 140 | 30 |
| ए 2 | 190 | 70 |
| बी 1 | 240 | 120 |
| बी 2 | 290 | 170 |
| सी 1 | 320 | 190 |
| सी 2 | 340 | 210 |
| डी | 360 | 230 |

## 6. ऋण जोखिम (एक खरीदार) पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम के भुगतान की प्रक्रिया क्या है ?

इस पॉलिसी का विकल्प चुनने वाले निर्यातकों को प्रीमियम या तो तिमाही आधार पर अथवा वार्षिक आधार पर जमा करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा । जहाँ निर्यातक प्रीमियम वार्षिक आधार पर अदा करने का विकल्प चुनता है, देय प्रीमियम में 5% की छूट दी जाएगी । प्रत्येक तिमाही के लिए प्रीमियम, तिमाही प्रारंभ होने के पूर्व अग्रिम रूप में अदा किया जाएगा । किसी भी प्रकार के विलंब में, किए गए पोतलदानों के संबंध में रक्षा तिमाही के प्रारंभ से प्रीमियम भेजे जाने की तारीख तक उपलब्ध नहीं होगी । जहाँ प्रीमियम की राशि तिमाही किस्त आधार पर अदा की जाती है, कुछ किस्तों के प्रेषण से पूर्व यदि दावा उत्पन्न होता है, निर्यातक द्वारा दावा दायर करने से पूर्व प्रीमियम की संपूर्ण राशि देय होगी । एक बार अदा किया गया प्रीमियम लौटाया नहीं जाएगा । यदि किसी कारणवश निगम पॉलिसी अवधि के दौरान रक्षा वापस ले लेता है, रक्षा वापस लेने के माह से अधिक माह की शेष अवधि के लिए समानुपातिक प्रीमियम कुल प्रीमियम के 25% के बराबर की राशि न्यूनतम प्रीमियम के रूप में रखकर,लौटा दिया जाएगा ।

## 7. ऋण जोखिम (एक खरीदार) पॉलिसी के अंर्गत अन्य प्रक्रियागत अपेक्षाएँ क्या हैं ?

i) पॉलिसी अवधि खरीदार को किए गए पोतलदानों के संबंध में पॉलिसी के अधीन संरक्षित किसी भी जोखिम के कारण दावा उत्पन्न होने पर, पॉलिसी हानि की उस सीमा को विनिर्दिष्ट करेगी जहाँ तक दावों पर विचार किया जाएगा ।

ii) यदि निर्यातक खरीदार हानि सीमा में वृद्धि चाहता है और निगम कारणों से संतुष्ट है, इस प्रकार के परिवर्तन के निर्यातक के निवेदन के बाद के माह से पॉलिसी की शेष अवधि के लिए, जो न्यूनतम तीन महीनों की होगी, के अधीन देय प्रीमियम में समानुपातिक वृद्धि करते हुए उसे मंजूर किया जा जा सकता है ।

iii) उसी तरह निगम के पास भी बाद के माह से पॉलिसी की शेष अवधि के लिए शेष अवधि के लिए देय प्रीमियम की राशि में तदनुरूपी कटौती के साथ बीमाकृत खरीदार पर हानि की सीमा कम करने के विवेकाधिकार होंगें ।

iv ) निर्धारित प्रारूप में वास्तविक पण्यावर्त की आवश्यकता, पॉलिसी के नवीकरण के समय होगी ।

v ) यदि संशोधित देय तारीख, पोतलादन की तारीख से 180 दिनों से अधिक होगी किसी भी पोतलदान की देय तारीख में विस्तार के लिए निर्यातक को निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

vi ) भुगतान की अप्राप्ति की सूचना, भुगतान की देय तारीख अथवा विस्तारित देय तारीख से 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए ।

vii) भुगतान की देय तारीख से एक वर्ष के बीतर निर्धारित फार्म मे दावा दायर किया जाना चाहिए ।

viii ) दावे के भुगतान के उपरांत, यदि कोई वसूली की जाती है, तो निगम के साथ उसकी हिस्सेदारी उसी समानुपात में की जाएगी जिसमें हानि की हिस्सेदारी का गई थी । तथापि निर्यातक द्वारा वसूली के लिए निगम के पूर्व अनुमोदन से वहन किए गए व्यय का वसूल की गई राशि पर पहला प्रभार होगा तथा वसूली व्यय घटाकर वसूली की शेष राशि की हिस्सेदारी यहाँ स्पष्ट किए अनुसार की जाए ।

ix) निर्यातक को 1000 /- रु. के न लौटाए जाने वाले पॉलिसी शुल्क के साथ निर्धारित फार्म में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा ।

## 8) ऋण जोखिम ( बहु-खरीदार ) पॉलिसी प्रारंभ करने की क्या आवश्यकता है ?

कुछ निर्यातक , कई खरीदारों को निर्यात करते हैं । उनके द्वारा किए जाने वाले पोतलदान भी काफी अधिक संख्या में होते हैं । उन्हें अपने सभी खरीदारों के लिए खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसी के लिए आवेदन करना शायद सुविधाजनक न हो । उनके लिए मानक पॉलिसी के अंतर्गत उनके निर्यातों की पोतलदान-वार घोषणा करना भी कठिन हो सकता है । ऐसे निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए " बहु खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसी " प्रारंभ की गई है ।

## 9) ऋण जोखिम ( बहु - खरीदार ) पॉलिसी की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

i . निर्यातक खुली रक्षा वाले देशों मे स्थित अपने उन सभी खरीदारों पर जिन्हें वे ऋण शर्तों पर विक्री करना चाहते हैं, सकल हानि सीमा (ऑल) के लिए रक्षा ले सकते हैं । प्रस्ताव स्वीकार करते समय , निगम की अपेक्षा होगी कि जिस श्रेणी/देश के लिए रक्षा मांगी गई है, के लिए लागू मांगी गई सकल हानि सीमा, पिछले 12 महीनों के पण्यावर्त के 10 % से कम नहीं होगी ।

ii. पॉलिसी एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाएगी ।

iii. यह रक्षा खुली रक्षावाली श्रेणी में सूचीबद्ध देशों के खरीदारों को किए जानेवाले निर्यातों के लिए तब तक उपलब्ध होगी जब तक खरीदार निगम द्वारा बनाई गई तथा जो निर्यातकों के लिए उनकी आन लाईन सुविधा व निगम की वेबसाइट www.ecgcindia.com पर दर्शाई गई "विदेशी खरीदार जिन पर प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई है की सूची " के अंतर्गत नहीं है ।

iv . यदि सौदा साख पत्र शर्तो पर है, तो ऐसे निर्यातों के संबंध में साख पत्र खोलने वाले बैंक यदि वह बैंक, बैंकर्स नवीनतम अल्मनॅक के अनुसार 25000 विश्व रैंक पर है की असफलता पर भी रक्षा प्रदान की जाएगी ।

v . इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रतिबंधित रक्षावाले देशों को किए जाने वाले निर्यातों के संबंध में रक्षा उपलब्ध नहीं होगी ।

vi. किसी भी व्यक्तिगत खरीदार/बैंक को किए गए निर्यातों के संबंध में हानि की सीमा, समग्र हानि सीमा के 10% तक सीमित होगी ।

vii . पॉलिसी वर्ष के दौरान किए जाने वाले सभी पोतलदानों को रक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित समग्र हानि सीमा पर देय प्रीमियम की दर प्रति 100 / - रु. पर 275 पैसे है ।

i. संरक्षित जोखिम , हानि का प्रतिशत प्रीमियम की अदायगी, पण्यावर्त की घोषणा समग्र हानि में वृद्धि, अतिदेय की घोषणा, देय तिथि में विस्तार , दावे आदि ऋण जोखिम ( एक खरीदार) पॉलिसी के अनुसार ही होगे ।

ii. निर्यातक को 5000/- रु के न लौटाए जाने वाले पॉलिसी शुल्क के साथ निर्धारित प्रस्ताव में आवेदन करना होगा ।